<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

05.07.2024.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गोवा क्षेत्रीय कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन मेसर्स चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सीसीपीएल), मेसर्स चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड (सीएसएल) और पीपी महात्मे एंड कंपनी के परिसरों और चौगुले परिवार के सदस्यों के 07 आवासीय परिसरों सहित उनके ग्रुप सीए प्रदीप महात्मे, सीएसएल के पूर्व एमडी और सीएफओ श्री मंगेश सावंत के विभिन्न स्थानों पर गोवा और मुंबई में तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने विश्वसनीय जानकारी के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें पता चला कि उक्त संस्थाओं ने विभिन्न विदेशी संरचनाएं बनाई थीं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कंपनियों से लगभग 228 मिलियन डॉलर की राशि को कई विदेशी सहायक कंपनियों और ग्वेर्नसे, यूके और मार्शल द्वीप समूह में स्थित स्टेप डाउन सहायक कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए जिन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।